# न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर

(न्याय निर्णयन अधिकारी : दीपेन्द्र सिंह राठौर, आर.ए.एस.)

प्रकरण सख्या : 78/2023 (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम/नियम)

**अनवान**

1. राज्य सरकार जरिये श्री जगदीश प्रसाद सैनी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उदयपुर (राज.)

—प्रार्थी

**बनाम**

1. श्री छोगालाल पिता तेजा डांगी मैसर्स राधा कृष्णा डेयरी, 2 केसर कुंज डॉ. डी.पी. सिंह के पास, न्यू भोपालपुरा उदयपुर स्थाई पता– रेतडा मांगथला मानकवास, तह.मावली उदयपुर मो. 9352526214

—विपक्षी

**उपस्थित**

1. श्री जगदीश प्रसाद सैनी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी।

अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006, नियम 2011

●निर्णय●

**दिनांक 28.03.2024**

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा राजपत्र मे प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक एफ5(1)चिस्वा./ग्रुप–3/2022 दिनांक 02.12.2022 के अनुसरण श्री जगदीश प्रसाद सैनी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी जो वाद मे राज्य सरकार है द्वारा उक्त विपक्षी पर सबस्टेण्डर्ड खाद्य पदार्थ विक्रय करने हेतु परिवाद दायर कर अवगत कराया है कि राज्य सरकार की ओर से वे दिनांक 17.08.2023 को 01.35 पी.एम. बजे वास्ते चेकिंग मैसर्स राधा कृष्णा डेयरी, 2 केसर कुंज डॉ. डी.पी. सिंह के पास, न्यू भोपालपुरा उदयपुर पर पहूँचा, वहॉ विपक्षी श्री छोगालाल उपस्थित पाये गये, जिन्होने स्वयं को मैसर्स राधा कृष्णा डेयरी, 2 केसर कुंज डॉ. डी.पी. सिंह के पास, न्यू भोपालपुरा उदयपुर का विक्रेता होना बताया। विक्रेता से फर्म का अनुज्ञापत्र/रजिस्ट्रेशन मांगा जो उपलब्ध पाया।

निरीक्षण के समय विक्रेता की डेयरी पर एक एल्यूमिनियम के कन्टेनर में करीब 20 लीटर दूध ( भैंस का दुध ) आम जनता को बिक्री वास्ते रखा पाया। पुछने पर विक्रेता ने भैंस का दूध होना बताया। इसमें सबस्टेण्डर्ड/अनसेफ की शंका होने से आम जनता को बिक्री वास्ते रखे पाये दूध को प्लीजर की सहायता से अच्छी तरह से मिलाकर एकरुप

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
उदयपुर (राज.)

करके 2 लीटर दुध वास्ते जॉच हेतु एक साफ, सुखी एवं खाली स्टील की भगोनी मे वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया। जिसकी सूचना विपक्षी को फार्म नम्बर VA पर दी। क्रय शुदा दुध की कीमत विक्रेता के बताये अनुसार 120 रू. चुका रसीद प्राप्त की।

प्रार्थी ने अपने आवेदन मे उल्लेख किया कि उक्त क्रयशुदा 2 लीटर भैंस का दुध को विक्रेता तथा गवाहन की उपस्थिति में प्लास्टिक की 4 साफ, सूखे व खाली बोतलों मे बराबर मात्रा (प्रत्येक मे करीब 500 एम.एल.) मे भरकर फार्मेलीन की 40 बूंद प्रत्येक में डालकर इनका मूँह ढक्कन से एयरटाईट बंद किया। प्रत्येक बोतलों पर लेबल चिपकाया व लेबल पर नमूना कोड व क्रमांक, नमूना लेने की दिनांक एवं स्थान, नमूने की किस्म अंकित कर हस्ताक्षर किये एवं विपक्षी, गवाहों के हस्ताक्षर करवायें एवं बोतल को सील कर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर द्वारा जारी की गई हस्ताक्षर युक्त पेपर स्लीप नम्बर **ए.ए–2388** का एक–एक भाग प्रत्येक नमूनो के बोतलों पर पेंदे से शीर्ष तक चिपका कर नियमानुसार सील बंद किया। नमूनो पर खाद्य कारोबारकर्ता के पेपर स्लीप व रेपर पर नियमानुसार क्रॉस हस्ताक्षर कराये एवं नमूने की सील भागो को कब्जे मे लिया।

एक सील बंद नमूना मय फार्म न. 6 की प्रति के आउटकवर मे सील कर खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, उदयपुर को वास्ते जांच भेजा साथ मे फार्म न. 6 की दो प्रति जिस पर नमूना सील अंकित था एक लिफाफे मे सील बंद कर खाद्य विश्लेषक को भेजी। नमूने के एक भाग को सील बंद भागो को मय फार्म न.6 की प्रतियों के आउटकवर मे सील बंदकर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उदयपुर को जमा कराई व नमूने के चौथे भाग को फार्म न.6 की प्रति के साथ आउटर कवर मे सील बंद कर अभिहित अधिकारी को जमा कराया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2023/8633 दिनांक 12.09.2023 के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, उदयपुर की रिपोर्ट न. एलएस/684/एक्ट/2023/684 दिनांक 31.08.2023 की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसके अनुसार उक्त नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(zx) के तहत सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया। क्योंकि Milk Fat 5.0% min. होना चाहिए था कि जगह 2.5% पाया गया एवं Milk solids not Fat 9.0% min. होना चाहिए था कि जगह 8.87% पाया गया। विपक्षी द्वारा सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ विक्रय करने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(II) का उल्लंघन किया है, जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 मे निर्धारित है। अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2023/8635 दिनांक 12.09.2023 के द्वारा विक्रेता को धारा 46(4) के तहत खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट के विरूद्ध अपील हेतु रजिस्टर्ड नोटिस दिया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
उदयपुर (राज.)

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूनो की पत्रावली अभिहित अधिकारी को प्रस्तुत करने पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उदयपुर के पत्र क्रमांक एफ एस.एस.ए./9673 दिनांक 19.10.2023 द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस को न्याय निर्णयन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया। आरोपी का टर्नऑवर 12 लाख रूपया वार्षिक से कम है।

कार्मिक (क–4) विभाग, राज. सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क–4/08 जयपुर दिनांक 05.04.2012 द्वारा राज्य के सभी जिलो मे कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जिनके पास सिविल न्यायालय के अधिकार है, को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उनके अधिनस्थ कार्यक्षेत्र के लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किया गया है।

उक्त अधिसूचना के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सूचना पत्र जारी किया जाकर अपना पक्ष प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। सुनवाई हेतु आरोपी को पर्याप्त अवसर दिया जाने के बाद भी जवाब पेश नहीं किया एवं लगातार न्यायालय में अनुपस्थित रहने पर प्रकरण में प्रार्थी की एक तरफा बहस सुनी गई। प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अधिक से अधिक जुर्माने से दण्डित किया जाने का निवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं विपक्षी के जवाब पर मनन किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा निरीक्षण के समय विक्रेता की डेयरी पर एक एल्यूमिनियम के कन्टेनर में करीब 20 लीटर दूध ( भैंस का दुध ) आम जनता को बिक्री वास्ते रखा पाया। पुछने पर विक्रेता ने भैंस का दूध होना बताया। इसमें सबस्टेण्डर्ड/अनसेफ की शंका होने से आम जनता को बिक्री वास्ते रखे पाये दूध को प्लीजर की सहायता से अच्छी तरह से मिलाकर एकरुप करके 2 लीटर दुध वास्ते जॉच हेतु एक साफ, सुखी एवं खाली स्टील की भगोनी मे वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया। जिसकी सूचना विपक्षी को फार्म नम्बर VA पर दी। नियमानुसार सीलबंद कर जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, उदयपुर को वास्ते विश्लेषण प्रेषित किया गया। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट अनुसार खाद्य पदार्थ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(zx) के अनुसार सबस्टेण्डर्ड पाया गया। **क्योंकि Milk Fat 5.0% min. होना चाहिए था कि जगह 2.5% पाया गया एवं Milk solids not Fat 9.0% min. होना चाहिए था कि जगह 8.87% पाया गया।**

मामले मे यह भी कहना उचित होगा कि कोई भी उपभोक्ता उसके स्वास्थ्य लाभ के लिये विश्वास के आधार पर खाद्य कारोबारकर्ता/खाद्य निर्माता से खाद्य उत्पाद को क्रय कर उसका सेवन/उपयोग करता है एवं प्रत्येक खाद्य कारोबारकर्ता/खाद्य निर्माता का यह दायित्व है कि वह ग्राहको के हितों को ध्यान मे रखते हुये खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मापदण्ड़ एवं दिशा निर्देशों की पूर्णतया पालना करे। खाद्य सुरक्षा

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
उदयपुर (राज.)

एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 51 मे सबस्टेण्डर्ड के मामलों मे अधिकतम राशि 5,00,000/– शास्ति का प्रावधान अंकित हैं। उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान मे रखते हुए एवं मामले की प्रकृति को देखते हुए आरोपी अधिकाधिक शास्ति के दण्ड से दंडित किये जाने योग्य है।

अतः खाद्य एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन करने पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत अपराध कारित होने से आरोपी को कुल राशि ₹50,000/–रु अक्षरे रूपया पचास हजार रूपया मात्र के आर्थिक दण्ड़ से दण्ड़ित किया जाता हैं एवं आदेशित किया जाता है कि भविष्य मे सबस्टेण्डर्ड खाद्य पदार्थो का निर्माण/विक्रय न करें। विपक्षी अभियुक्त जुर्माना राशि "न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट उदयपुर" के नाम जरिये डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा चालान के माध्यम से एक माह मे आवश्यक रूप से जमा करावें।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

( दीपेन्द्र सिंह राठौर )
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
उदयपुर

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
उदयपुर (राज.)